HINDI

शीघ्र नियोजन

डिमेंशिया से ग्रस्त व्यक्ति, उसके परिवार व देखभाल प्रदातायों, सब के लिए, शीघ्र नियोजन उनके वित्तीय एवं कानूनी मामलों का प्रबंध करना आसान बना सकता है। यह सहायता पत्रक आगे की योजना बनाने के तरीकों पर विचार-विमर्श करता है तथा जो लोग एवं संस्थायें सहायता प्रदान कर सकते हैं, उनकी सूची देता है।

डिमेंशिया लोगों को अलग अलग तरह से प्रभावित करता है। जहाँ कोई व्यक्ति पैसों की संभाल करने या सक्षम व्यापारिक निर्णय लेने की योग्यता को प्रारंभिक अवस्था में खोना शुरू कर सकता है, वहीं किसी दूसरे व्यक्ति में ये योग्यतायें ज्यादा देर तक बनी रह सकती हैं।

किन्तु, कभी ना कभी उनकी योग्यतायों में कमी आएगी तथा डिमेंशिया से ग्रस्त व्यक्ति अपने वित्तीय तथा कानूनी मामलों के निर्णय स्वयं से लेने में असमर्थ हो जाएगा।

आगे की योजना बनाना

आगे की योजना बनाने से परिजनों एवं देखभाल प्रदातायों के लिए डिमेंशिया से ग्रस्त व्यक्ति के मामलों का प्रबंधन करना आसान बन सकता है। यह संभव है कि डिमेंशिया से ग्रस्त व्यक्ति योजना बनाने में भाग ले सकता है और यह सुनिश्चित कर सकता है कि उनकी इच्छायों को उनके अनुसार पूरा किया जाता है।

जहाँ भी संभव हो, तब परामर्श लें जब डिमेंशिया से ग्रस्त व्यक्ति विचार-विमर्श में भाग ले सकता हो और किन्हीं दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए कानूनी तौर पर सक्षम हो।

धन संबंधी मामले

यदि कोई बैंक खाता संयुक्त नामों में है, तो डिमेंशिया से ग्रस्त व्यक्ति का/की सहभागी बिना किसी बदलाव के उस खाते का संचालन करना जारी रख सकता/सकती है। परन्तु, यदि डिमेंशिया से ग्रस्त व्यक्ति अनुपयुक्त तरीके से खाते का प्रयोग करता है या खाते केवल उन्हीं के नाम पर हैं, तो समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं। इन समस्याओं से बचने के लिए, जब तक डिमेंशिया से ग्रस्त व्यक्ति कानूनी तौर पर सक्षम है, वह किसी दूसरे व्यक्ति को खाते का संचालन करने का अधिकार दे सकता है। यह याद रखना आवश्यक है कि जब डिमेंशिया से ग्रस्त व्यक्ति कानूनी तौर पर सक्षम नहीं रहेगा तो यह अधिकार अवैध बन जाएगा। यदि वे प्रबंधन के लिए किए गए किसी बदलाव पर सहमति देने के लिए राज़ी नहीं हैं, तो किसी संभावित समाधान के बारे में बैंक मैनेजर से परामर्श करना सहायक हो सकता है।

आगे की योजना बनाने का अर्थ है:

- सभी वित्तीय खातों पर संयुक्त हस्ताक्षरों का होना
- किसी वित्तीय सलाहकार से भविष्य के वित्तीय मामलों पर विचार-विमर्श करना
- इस बात का प्रबंध करना कि कैसे और कब डिमेंशिया से ग्रस्त व्यक्ति अपनी पूँजी का उपयोग करेंगे

कौन सहायता कर सकता है?

- बैंक मैनेजर
- मान्यता प्राप्त वित्तीय सलाहकार
- वकील
- एलसायमरस ऑस्ट्रेलिया

स्थायी मुख्तारनामा

अधिकांश राज्यों एवं राज्य क्षेत्रों में यदि हस्ताक्षर करने के समय व्यक्ति कानूनी तौर पर सक्षम हो, तो वह व्यक्ति स्थायी मुख्तारनामा कहे जाने वाले दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर सकता है। स्थायी मुख्तारनामा एक कानूनी प्रबंध है जो कि किसी व्यक्ति के असक्षम हो जाने पर किसी दूसरे नामांकित व्यक्ति को उनके वित्तीय मामलों को सँभालने का अधिकार देता है। बहुत से लोगों ने चाहे उन्हें कोई रोग या रोगनिदान हो या ना हो, स्थायी मुख्तारनामा बना रखा है।

एक आम, या सामान्य मुख्तारनामा भी उपलब्ध है, परन्तु यह तब तक वैध है जब तक व्यक्ति कानूनी रूप से सक्षम है। स्थायी मुख्तारनामे को यदि रद्द ना किया जाए तो यह व्यक्ति की मृत्यु हो जाने तक चालू रहता है।

स्थायी मुख्तारनामा बनाने का एक लाभ यह है कि यह डिमेंशिया से ग्रस्त व्यक्ति को उस अवधि में कानूनी एवं वित्तीय मामलों में अपनी ओर से कार्यवाही करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को चुनने की अनुमति देता है जब वे स्वयं ऐसा करने के योग्य नहीं रहते हैं।

आगे की योजना बनाने का अर्थः

- यह सुनिश्चित करना है कि यदि डिमेंशिया से ग्रस्त व्यक्ति का कोई स्थायी मुख्तारनामा नहीं है, तो उन्हें स्थायी मुख्तारनामा बनाने पर विचार करने का अवसर प्राप्त है। तथा यह अवसर उन्हें उनके रोगनिदान के बाद जितनी जल्दी संभव हो मिले और उस समय में मिले जब वह इस पर विचार करने में सक्षम हों।
- यह सुनिश्चित करना कि परिजनों एवं देखभाल प्रदातायों के पास भी उनका खुद का स्थायी मुख्तारनामा हो ताकि यह पक्का हो जाए कि उनके असमर्थ होने की स्थिती में भी उनके कार्यों का अच्छे ढ़ंग से प्रबंधन किया जाता है
- स्थायी मुख्तारनामें की एक प्रति का अपने पास होना तथा इस बात की जानकारी रखना कि उसे कहाँ रखा जाता है

UNDERSTAND ALZHEIMER'S
EDUCATE AUSTRALIA

This help sheet is funded by the Australian Government
under the National Dementia Support Program

कौन सहायता कर सकता है?

- वकील
- कानूनी समिति या संस्था, लीगल ऐड (कानूनी सहायता)
- सरकारी वकील या सरकारी संरक्षक
- एलसायमरस ऑस्ट्रेलिया

वसीयतनामे

वसीयत यह निर्देश देती है कि मृत व्यक्ति की संपत्ति का बंटवारा किस प्रकार करना चाहिए।

वसीयत तभी वैध है जब व्यक्ति इसके निहितार्थ व आशय को समझता है, इसलिए यह जरूरी है कि यदि डिमेंशिया से ग्रस्त व्यक्ति अपनी वसीयत बनाना चाहता है या उसमें सुधार करना चाहता है, तो वह ऐसा उस अवधि के दौरान कर पाए जब वह हस्ताक्षर करने में सक्षम हो।

आगे की योजना बनाने का अर्थ हैः

- सामयिक वसीयत का होना
- यह जानकारी रखना कि निर्वाहक कौन है और वसीयत कहाँ रखी जाती है

कौन सहायता कर सकता है?

- वकील
- कानूनी समिति या संस्था, लीगल ऐड (कानूनी सहायता)
- एलसायमरस ऑस्ट्रेलिया

चिकित्सीय ईलाज के बारे में निर्णय

यदि आप अपने चिकित्सीय ईलाज करवाने के बारे में निर्णय लेने की कानूनी क्षमता खो देते हैं तो किसी दूसरे को आपके लिए निर्णय लेना आवश्यक हो जाता है। अधिकतर राज्यों एवं राज्य क्षेत्रों में आप इन निर्णयों को लेने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त कर सकते हैं जिसपर आप भरोसा करते हैं। अगर आपने पहले से ही इसका आयोजन नहीं किया हुआ है तो हर राज्य एवं राज्य क्षेत्र का कानून एक विशेष न्यायालय को यह अनुमति देता है कि वे किसी व्यक्ति को आपकी ओर से निर्णय लेने के लिए नियुक्त करे।

चिकित्सीय ईलाज के बारे में निर्णय लेने के लिए आगे की योजना बनाने में सहायक दो प्रकार के साधन उपलब्ध हैंः

- स्थायी मुख्तारनामा जिसमें स्वास्थ्य संबंधी मामले शामिल होते हैं, यह आपको किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करने की अनुमति देता है जो आपके स्थान पर आपके लिए चिकित्सीय निर्णय ले सकता है
- अग्रिम निर्देश जो कि चिकित्सीय ईलाज के बारे में आपकी इच्छाओं को व्यक्त करता हुआ एक लिखित दस्तावेज है

कुछ राज्यों एवं राज्य क्षेत्रों में अलग अलग नाम प्रयोग किए जा सकते हैं, परन्तु इस दस्तावेज का प्रयोग लगभग एक समान ही है।

आगे की योजना बनाने का अर्थः

- यह सुनिश्चित करना है कि डिमेंशिया से ग्रस्त व्यक्ति को स्थायी मुख्तारनामा बनाने का अवसर प्राप्त हो और उसमें स्वास्थ्य संबंधित मामले या अग्रिम निर्देश शामिल हो
- दस्तावेज की एक प्रति आपके पास हो, तथा यह जानकारी रखना कि इसे कहाँ रखा गया है

कौन सहायता कर सकता है?

- वकील
- कानूनी समिति या संस्था, लीगल ऐड (कानूनी सहायता)
- सरकारी वकील या सरकारी संरक्षक
- एलसायमरस ऑस्ट्रेलिया

संरक्षण एवं संचालन

अधिकांश राज्यों एवं राज्य क्षेत्रों में संरक्षण बोर्ड या ट्रिब्यूनल होता है जो किसी ऐसे व्यक्ति के लिए संरक्षक या संचालक की नियुक्ति कर सकता है जो अपने निर्णय खुद लेने के योग्य नहीं है। यदि डिमेंशिया से ग्रस्त व्यक्ति के मामलों को निपटाने में समस्याएँ हैं, या व्यक्ति के सर्वोत्तम हितों के प्रति कोई विरोध है, तो संरक्षक या संचालक की नियुक्ति के लिए आवेदन पर विचार किया जाना चाहिए।

एलसायमरस ऑस्ट्रेलिया से इस बात पर विचार-विमर्श करने के लिए संपर्क किया जा सकता है कि क्या संरक्षक या संचालक को नियुक्त करने के लिए आवेदन की आवश्यकता है, और इसके लिए क्या करना चाहिए।

अधिक जानकारी

एलसायमरस ऑस्ट्रेलिया सहायता, सूचना, शिक्षा व सलाह प्रदान करता है। राष्ट्रीय डिमेंशिया हेल्पलाइन को **1800 100 500** पर संपर्क करें।

आगे की जानकारी तथा दूसरे सहायता पत्रकों को देखने के लिए हमारी वेबसाइट **fightdementia.com.au** पर जायें

एलसायमरस ऑस्ट्रेलिया इस सहायता पत्रक में दी गई विषय सूची के लिए जिम्मेवार है।
© Alzheimer's Australia 2012
यह प्रकाशन केवल सम्मिलित विषय वस्तु का ही सामान्य सारांश प्रदान करता है। लोगों को अपने विशेष मामले के लिए पेशेवर परामर्श लेना चाहिए। एलसायमरस ऑस्ट्रेलिया इस प्रकाशन में किसी गलती या छूट के लिए जिम्मेवार नहीं है।
Interpreter
131 450